

"अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)" संबंधी दिशानिर्देश -धन शोधन निवारणमानदंड

धनशोधन निवारण मानदण्डों एवं वित्तीय आतंकवाद से संघर्ष के बारे में गठित "वित्तीय कार्रवाई दल" की सिफारिशों के मद्देनजर, उक्त विषय पर जनवरी 2004 में जारी, पिछले दिशानिर्देशों की समीक्षा करके फरवरी 2005 में "अपने ग्राहकों को जानने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गये थे। ये मानदण्ड धनशोधन निवारण एवं वित्तीय आतंकवाद से संघर्ष के लिए विनियामक प्राधिकारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंचमार्क बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संबंधों के लिए देश के बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए इन मानकों का अनुपालन करना आवश्यक हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग परचालन और विकास विभाग ने "वित्तीय कार्रवाई दल" की सिफारिशों एवं बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति द्वारा बैंकों के लिए जारी पर्याप्त सावधानी (ड्यू डिलीज़ेंस) संबंधी पेपर के आधार पर बैंकों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश, जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया उदाहरण स्वरूपी सुझावों के साथ, जारी किए हैं जिनकी एक प्रति अनुबंध -1 के रूप में संलग्न है। ये दिशानिर्देश समान रूप से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर भी लागू हैं। इसलिए सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी गतिविधियों / कार्यों के स्वरूप के अनुसार उन्हें आवश्यक संशोधनों के साथ अपना लें तथा यह सुनिश्चित करें कि "अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)" तथा धन शोधन निवारण उपायों के लिए समुचित नीति गत ढांचा तैयार करें और इस परिपत्र की तारीख से 3 माह के भीतर अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से उन्हें लागू करें। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि 31 दिसंबर 2005 से पूर्व वे उल्लिखित अनुदेशों की पूरी तरह अनुपालन करने वाली बन जाएं।

2. परिचालन संबंधी दिशानिर्देश तैयार करते समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ इस बात को ध्यान में रखें कि खाते खोलते समय ग्राहकों से प्राप्त सूचना को गोपनीय रखें तथा उसके ब्योरे प्रति-बिक्रय (क्रास सेलिंग) या किसी अन्य प्रयोजन से न खोले जाएं/दिए जाएं। अतः गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ यह सुनिश्चित करें कि प्रत्याशित जोखिम से के अनुरूप सूचना ग्राहकों से मांगी/प्राप्त की जाए जो अनंतर्वेधी हो तथा इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हो। अन्य सूचना खाता खोलने के बाद ग्राहक की सहमति से अलग से प्राप्त की जा सकती है।

(21 फरवरी 2005 के परिपत्र सं. गैर्बैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 48/10.42./2004-05 में ब्योरे दिए गए हैं)

3. चूंकि यह आवश्यक है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से जनता से जमाराशियाँ एकत्रित करने के लिए कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों जिनमें दलाल(ब्रोकर)/एजेंट, आदि शामिल हैं पर दिशानिर्देश समान रूप से लागू हैं। अतः 11 अक्टूबर 2005 को सूचित किया गया था कि:

**I. अपने ग्राहकों को जानने संबंधी दिशानिर्देशों का पालन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों
तथा उनके अधिकृत व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, द्वारा किया जाना**

धन शोधन निवारण अधिनियम (प्रीवेंशन आफ मनी लांडरिडग एक्ट), 2002 (अध्याय IV) के अनुसार बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यस्थों पर इस बात का दायित्व डाला गया है कि वे निर्दिष्ट प्रकृति तथा मूल्य के लेनदेन के संबंध में रिकार्ड रखने से संबंधित कतिपय अपेक्षाओं, लेनदेन से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने एवं विहित तरीके से सभी ग्राहकों की पहचान का अभिलेख रखने एवं उसके सत्यापन की अपेक्षा का पालन करें। तदनुसार 21 फरवरी 2005 के परिपत्र सं. गैबैपवि.(नीप्र) कंपरि. सं. 48/10.42/2004-05 के द्वारा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अनुदेश जारी किये गये थे।

जहाँ तक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अधिकृत व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, द्वारा जनता से जमा राशियाँ एकत्रित/इकट्ठी करने का संबंध है, चूँकि ये व्यक्ति गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ओर से जनता से जमाराशियाँ इकट्ठी करते हैं इसलिए अपने ग्राहकों को जानने संबंधी मानकों का पालन इनके द्वारा किये जाने की पूरी जिम्मेदारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की होगी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ इस संबंध में संपूर्ण जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करें ताकि इस बात को सत्यापित किया जा सके कि कंपनी अपने ग्राहकों को जानने संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है तथा वे अपने द्वारा अधिकृत व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट, आदि शामिल हैं, द्वारा इस बारे में किये जानेवाले किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगी।

30 दिसंबर 2004 को जारी कंपनी परिपत्र सं. 46 में अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों (RNBCs) के लिए एक रोडमैप बनाया गया था जिसमें निम्नवत दिशानिर्देश जारी किए गए थे:

1 अप्रैल 2004 के बाद बनाए गए नए ग्राहकों के संबंध में कंपनी परिपत्र सं. 48 में अपने ग्राहकों को जानने के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का सभी मामलों में अनुपालन होना चाहिए। तथापि, मौजूदा ग्राहकों में से, प्रारंभ में बड़े ग्राहकों, जिनकी समग्र जमाराशियाँ रु. 1 लाख से अधिक हैं, के बारे में अपने ग्राहकों को जानने के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए। मौजूदा शेष खातों के संबंध में कंपनियाँ यह सुनिश्चित करें कि जमाराशियों के नर्वीकरण के समय ग्राहकों के बारे में व्योरे अद्यतन कर दिए जाएं। हालांकि, इससे ग्राहकों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ना न सहनी पड़े।

जहाँ तक एजेंटों/सब-एजेंटों द्वारा जमाराशियाँ एकत्रित करने का संबंध है, यदि वे अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों की ओर से जमाराशियाँ एकत्रित करते हैं तो अपने एजेंटों/सब-एजेंटों द्वारा "अपने ग्राहकों को जानने" संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन की पूरी जिम्मेदारी अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी की होगी। "अपने ग्राहकों को जानने" के संबंध में दिशानिर्देशों के अनुपालन की पूरी जानकारी अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी की ओर

से परिचालन करने वाले अपने एजेंटों/सब-एजेंटों द्वारा किए गए किसी भी उल्लंघन के सभी परिणामों को उसे स्वीकार करना होगा।

II. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अधिकृत व्यक्तियों जिनमें दलाल/एजेंट, आदि शामिल हैं, के संबंध में पर्याप्त सावधानी बरतना (ज्ञौ डिलीजेंस)

अपने ग्राहकों को जानने संबंधी दिशानिर्देशों के विस्तार के रूप में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जनता से जमाराशियाँ इकट्ठी करने के लिए अपने द्वारा अधिकृत व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, की नियुक्ति एवं (उनकी पृष्ठभूमि/ अध्यवसायिता के) विस्तृत सत्यापन की एक समान कार्यप्रणाली रखनी होगी। किये गए अध्यवसाय/पर्याप्त सावधानी का ब्योरा कंपनी के रिकार्ड में सत्यापन के लिए रखा जाए। इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट 31 दिसंबर 2005 तक भारतीय रिजर्व बैंक को मिल जानी चाहिए थी।

जमाकर्ताओं के हित में तथा परिचालनों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कंपनियाँ एक प्रणाली रखें जिसके अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, के कंपनी के दलाली कार्य से संबंधित बही-खाते उपलब्ध रहें तथा जरूरत पड़ने पर उनकी लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण किया जा सके।

उल्लिखित 30 दिसंबर 2004 के कंपनी परिपत्र सं. 46 के द्वारा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को भी उक्त रीति से ही सूचित किया गया था और उन्हें 31 जनवरी 2005 तक रिजर्व बैंक को अनुपालन रिपोर्ट देनी थी।

**III. अधिकृत व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं,
के पहचान योग्य संपर्क (**identifiable contact**) के अनुसार ग्राहक सेवा**

सभी जमा रसीदों पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नाम एवं उसके पंजीकृत कार्यालय का पता दर्ज होना चाहिए तथा उस पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, के नाम तथा उनके पते, जो जमाराशि इकट्ठी करते हैं, तथा लिंक ऑफिस (संपर्क कार्यालय) के उस अधिकारी और या अधिकृत व्यक्ति, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, के फोन नंबर दिये हों ताकि फील्ड में काम करने वाले व्यक्तियों के समक्ष संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति का स्पष्ट पता रहे और अदावाकृत/व्यपगत (भूली हुई) जमा, जारी न रखी गई जमा, ब्याज का भुगतान एवं ग्राहकों की अन्य शिकायतों/ परिवाद आदि के मामलों को अच्छी तरह निपटाया जा सके। कंपनियाँ एक प्रणाली विकसित करें जिसमें ऐसे अधिकृत व्यक्ति, जिनमें दलाल/एजेंट आदि शामिल हैं, जिनके मामले में जमाराशियाँ जारी न रहने के मामले ज्यादा हों, की पहचान हो सके ताकि तत्संबंध में उचित कार्रवाई की जा सके।

(11 अक्टूबर 2005 के परिपत्र सं. गैबैपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि. सं. 58/10.42/2005-06 में ब्योरे दिए गए हैं)

उल्लेखानुसार 30 दिसंबर 2004 के परिपत्र सं. कंपरि. 46/02.02(आरएनबीसी)/2004-05 में अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को भी सूचितकिया गया था।

4. मार्च 2006 में यह स्पष्ट किया गया था कि यद्यपि उल्लिखित परिपत्र में परिचय और पते के साक्ष्य संबंधी अपेक्षित दस्तावेजों में लचीलेपन का प्रावधान है फिर भी शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में, विशेषकर कम आय वर्ग के, कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो अपने परिचय और पते के संबंध में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को, उनकी संतुष्टिदायक, ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ हों। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि सभी खातों में कुल मिलाकर ₹.50,000/--का जमाशेष और सभी खातोंगत कुल क्रेडिट एक वर्ष में ₹.1,00,000/-से अधिक न रखने के इच्छुक व्यक्तियों के संबंध में (ग्राहकों के) खाते खोलने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अनुपालित किये जानेवाले अपने ग्राहकों को जानने संबंधी दिशानिर्देशों (मार्गदर्शी सिद्धांतों) की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए।

5. तदनुसार, अगर कोई व्यक्ति 21 फरवरी 2005 के हमारे उत्त परिपत्र के संलग्नक बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के संदर्भित परिपत्र के अनुबंध II में वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न कर सके तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ पैराग्राफ 2 में उल्लिखित खाते निम्नलिखित शर्तों के तहत खोल सकती हैं:-

क) किसी ऐसे खातेदार द्वारा परिचय जिसके संबंध में अपने ग्राहक को जानने संबंधी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया गया हो/जांच की गई हो। परिचयकर्ता का खाता गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में कम से कम छह माह पुराना हो और उसमें सतोषजनक लेन-देन हुए हों। खाता खोलने के इच्छुक व्यक्ति का फोटोग्राफ और उसके पते को परिचयकर्ता द्वारा प्रमाणित कराया जाए।

या

ख) इच्छुक ग्राहक के परिचय और उसके पते के संबंध में अन्य कोई साक्ष्य जिससे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी संतुष्ट हो।

6. उल्लिखित प्रकार से जिस व्यक्ति का खाता खोला जाए उसे अवगत करा दिया जाए कि यदि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में किसी समय निर्दिष्ट सीमा उसके सभी खातों में कुल मिलाकर ₹. 50,000/- के जमाशेष और सभी खातोंगत वर्ष में कुल क्रेडिट ₹.1,00,000/-से अधिक हो जाएगी, तो खातेदार क 1 लेन-देन तब तक के लिए रोक दिया जाएगा जब तक अपने ग्राहक को जानने संबंधी दिशानिर्देशों में सुझाई गई प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी। ग्राहक को असुविधा से बचाने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जमा खाते में शेषराशि ₹.40,000/- और एक वर्ष में कुल क्रेडिट ₹.80,000/-के पहुंचते ही ग्राहक को उसकी जानकारी दें तथा सूचित करें कि वह अपने ग्राहक को जानने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों में दी गई पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करे अन्यथा जमा खाते में कुल मिलाकर ₹. 50,000/- के जमाशेष और सभी खातोंगत वर्ष में कुल क्रेडिट ₹.1,00,000/- होने पर उसक 1 लेन-देन बंद कर दिया जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय

कंपनियों को सूचित किया गया था कि वे इस संबंध में उत्त अनुपालन के लिए अपनी शाखाओं को समुचित अनुदेश जारी करें।

(7 मार्च 2006 के परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 64/03.10.042/2005-06 में ब्योरे दिए गए हैं।)

7. इसके अलावा, अप्रैल 2008 में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को स्पष्ट किया गया था कि 21 फरवरी 2005 के परिपत्र में "संतुष्ट होने" का अर्थ है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा हर हालत में सक्षम प्राधिकारियों को इस बात से संतुष्ट करना कि लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन में, ग्राहक की जोखिम प्रोफाइल के आधार पर, समुचित सावधानी बरती गई है। इसी परिपत्र के अनुबंध III में ग्राहक की पहचान करने से संबंधित दस्तावेजों के स्वरूप एवं प्रकार की उदाहरण रूपी सूची भी उसमें दी गई थी जिन पर निर्भर किया/हुआ जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अनुबंध III में जिस सूची को स्पष्ट रूप से उदाहरण के रूप में दिया गया था, उसे कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने व्यापक सूची के रूप में समझ लिया हो और परिणामतः जनता के एक वर्ग को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने से मना कर दिया गया हो। अस्तु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे इस संबंध में अपने मौजूदा आंतरिक अनुदेशों की समीक्षा करें।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि हमारे इस परिपत्र के अनुबंध III में वर्णित स्थायी सही पते का अर्थ उस पते से है जहाँ कोई व्यक्ति आमतौर पर रहता/निवास करता है तथा किसी उपभोक्ता बिल या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा ग्राहक के पते के रूप में स्वीकार किए गए किसी अन्य दस्तावेज में अंकित पते से है। यदि राशि जमा करने वाले व्यक्ति के नाम में उपभोक्ता बिल न हो किन्तु वे निकट संबंधी के हों अर्थात पत्नी, पुत्र, पुत्री और माता-पिता, आदि जो अपने पति, पिता/माता तथा पुत्र के साथ रहते हों तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऐसे भावी ग्राहक की पहचान के रूप में उल्लिखित व्यक्तियों के पहचान संबंधी दस्तावेज और उपभोक्ता बिल, संबंधित व्यक्ति के इस आशय के घोषणा पत्र के साथ ले सकते हैं कि खाता खोलने का इच्छुक व्यक्ति घोषणाकर्ता का संबंधी है और उसके साथ रहता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ पते के सत्यापन के लिए किसी पूरक साक्ष्य का सहारा ले सकती हैं जैसे सत्यापन के रूप में डाक से प्राप्त पत्र। इस विषय पर अपनी शाखाओं को परिचालन संबंधी अनुदेश जारी करते समय गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों की भावना को ध्यान में रखें और अन्यथा कम जोखिम वाले ग्राहकों के रूप में वर्गीकृत व्यक्तियों के लिए अवांछित अड़चने पैदा न करें।

9. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से अपेक्षित है कि खातों के जोखिम वर्गीकरण और किसी ग्राहक के उच्च जोखिम वाला होने के अनुमान के तहत और ज्यादा पर्याप्त सावधानी बरतने की आवधिक समीक्षा करने की प्रणाली स्थापित करें। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह भी सूचित किया जाता है कि ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा आवधिक आधार पर

करें जिसकी बारंबारता 6 माह में एक बार से कम न हो। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों खाते खोलने के बाद ग्राहकों के ट पहचान संबंधी आंकड़ों (फोटोग्राफ सहित) को आवधिक आधार पर अद्यतन करने की प्रणाली भी लागू करें। इस प्रकार अद्यतन करने की आवधिकता कम जोखिम वाले ग्राहकों के संबंध में हर पांच वर्ष में एक बार तथा मध्यम एवं उच्च जोखिम वाले ग्राहकों के संबंध में हर दो वर्ष में एक बार से कम न हो।

10. मौजूदा अनुदेशों के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह भी सूचित किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देश इन कंपनियों की भारत से बाहर, विशेषकर एफएटीएफ संस्तुतियों को या तो लागू न करने वाले या अपर्याप्त रूप में लागू करने वाले देशों में स्थित शाखाओं एवं प्रमुख रूप से स्वाधिकृत सहायक कंपनियों पर भी उस सीमा तक लागू होंगे जहाँ तक उस देश के कानून अनुमति देते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं मेजबान देश के विनियामक द्वारा जारी केवाईसी/एएमएल मार्गदर्शी सिद्धांतों में यदि भिन्नता हो तो उनमें से जो भी सिद्धांत सख्त होंगे उन्हें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ऐसी शाखाओं/ओवरसीज़ सहायक कंपनियों द्वारा अपनाया जाएगा।

11. आतंकवाद के वित्तोषण के खिलाफ संघर्ष

क) धनशोधन निवारण अधिनियम संबंधी नियमावली के अनुसार संदिग्ध लेनदेन में, अन्य बातों के साथ-साथ, वे लेनदेन शामिल हैं जो आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों का वित्तोषण किये जाने के संदेह के लिए पर्याप्त आधार मुहैया कराते हैं। इसलिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि आतंकी संबंधों के होने के संदेह वाले खातों की और अधिक निगरानी करने एवं ऐसे लेनदेनों की त्वरित पहचान करके वित्तीय आसूचना-एकक-भारत (FIU-IND) को उचित रिपोर्ट वरीयता से भेजने के लिए उचित नीतिगत ढांचे की मार्फत एक तंत्र विकसित करें।

ख) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विविध संकल्पों के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद समिति द्वारा व्यक्तियों तथा संस्थाओं की अनुमोदित सूची भारत सरकार से जब भी प्राप्त होती है, रिजर्व बैंक उसे सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित) में परिचालित करता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चाहिए कि वे रिजर्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों एवं संस्थाओं की सूची को समेकित एवं अद्यतन करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों एवं संस्थाओं की अद्यतन सूची संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट <http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml> से प्राप्त की जा सकती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि नए खाते खोलने से पूर्व वे यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का /ग्राहक के नाम ऐसी सूची में न हो। इसके अलावा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को (उनके पास रखे गए) सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनमें किसी ऐसी संस्था/ व्यक्ति का नाम न हो जो ऐसी सूची में दर्ज हो। उक्त सूची में शामिल किसी व्यक्ति/संस्था से सादृश्य वाले व्यक्ति/संस्था के खाते का पूरा ब्योरा तुरंत भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्तीय आसूचना-एकक-भारत (FIU-IND) को प्रस्तुत किया जाए।

12. यह ध्यान देने योग्य है कि अपराधियों द्वारा बैंकिंग/वित्तीय चैनल का दुरुपयोग करने पर रोकने लगाने को सुनिश्चित करने के लिए केवाईसी/एएमएल स्टैंडर्ड/सीएफटी उपायों का निर्धारण किया गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां कार्मिकों की भर्ती/उन्हें भाड़े पर लेने को पर्याप्त जांच तंत्र का अभिन्न अंग बनाएं।

13. स्टाफ में केवाईसी/एएमएल के संबंध में जागरूकता और संदिग्ध लेन-देनों के संबंध में सतर्कता लाने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ 5 अगस्त 2008 के कंपनी परिपत्र सं. 126 के अनुबंध V में अंतर्विष्ट उदाहरणरूपी संदिग्ध गतिविधियों/कार्यों की सूची पर विचार करें/ देखें।

14. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-ट एवं 45-ठ के अंतर्गत ये दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं एवं इस संबंध में किया गया कोई उल्लंघन उक्त अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय हो सकता है।

(23 अप्रैल 2008 के परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 113/03.10.42/2007-08 में ब्योरे दिए गए हैं।)

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा बैंकों को जारी दिशानिर्देश

'अपने ग्राहकों को जानने' संबंधी मानदंडों तथा धनशोधन
निवारण उपायों के बारे में दिशानिर्देश (मार्गदर्शी सिद्धांत)

'अपने ग्राहकों को जानने' संबंधी मानदंड

1. "अपने ग्राहकों को जानने" संबंधी दिशानिर्देशों का लक्ष्य आपराधिक तत्वों द्वारा धन शोधन गतिविधियों के लिए बैंकों का इच्छित या अनिच्छित रूप से उपयोग हो जाने से रोकना है। "अपने ग्राहकों को जानने" संबंधी प्रक्रिया से बैंक अपने ग्राहकों एवं उनके वित्तीय लेनदेनों को बेहतर रूप में जानने/समझने में समर्थ हो सकेंगे जिससे उन्हें अपने जोखिमों को विवेकपूर्वक प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। बैंक निम्नलिखित चार मुख्य तत्वों को शामिल करके "अपने ग्राहकों को जानने" संबंधी अपनी नीतियों का निर्धारण करें:

- (i) 'ग्राहक स्वीकरण नीति (सी ए पी);
- (ii) ग्राहक पहचान क्रियाविधि (सी आर पी);
- (iii) लेन-देनों की निगरानी; और
- (iv) जोखिम प्रबंधन

"अपने ग्राहक को जानिए" नीति के प्रयोजन हेतु "ग्राहक" की परिभाषा निम्नानुसार दी गयी है :

- कोई व्यक्ति या संस्था जो खाता खोलता /खोलती है और / या जिसका बैंक के साथ कारोबारी संबंध है;
- कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसकी ओर से खाता खोला जाता है (अर्थात् हितार्थी स्वामी);
- व्यावसायिक मध्यस्थों, जैसे स्टॉक ब्रोकर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, सॉलीसिटर इत्यादि, द्वारा, जैसा कि कानून द्वारा अनुमत हो, किये गये लेन-देन के हिताधिकारी, और
- किसी वित्तीय लेन-देन जो बैंक के लिए प्रतिष्ठा संबंधी या कोई अन्य बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है - जैसे किसी एक लेन-देन से रूप में तार अंतरण या उच्च मूल्य का मांग ड्राफ्ट जारी किया जाना, से जुड़ा कोई व्यक्ति या संस्था ।

ग्राहक स्वीकरण नीति (सी ए पी)

2. बैंकों को ग्राहकों को स्वीकार करने के लिए स्पष्ट मानदंड निर्धारित करके एक स्पष्ट ग्राहक स्वीकरण नीति तैयार करनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राहक स्वीकरण नीति में बैंक में ग्राहक-संबंध के निम्नलिखित पहलुओं पर स्पष्ट दिशानिर्देश निश्चित कर दिये गये हैं।

- (i) अज्ञातनाम / छद्मनाम से या फर्जी /बेनामी नामों से कोई खाता न खोला जाय;
- (ii) कारोबार के स्वरूप, ग्राहक के स्थान, भुगतान के तरीके, टर्न ओवर की मात्रा, ग्राहक की सामाजिक और अर्थिक स्थिति इत्यादि के अनुसार जोखिम निर्धारण संबंधी मानदंड स्पष्टः निश्चित कर दिए जाने चाहिए ताकि ग्राहकों को कम जोखिम, मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम श्रेणियों (बैंक अन्य उपयुक्त नाम भी चुन सकते हैं - जैसे स्तर I, स्तर II और स्तर III) में विभाजित किया जा सके; जिन ग्राहकों के लिए बहुत उच्च स्तर की मॉनिटरिंग जरूरी है - जैसे पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन को आवश्यकता पड़ने पर और उच्चतर श्रेणी में रखा जा सकता है;
- (iii) संभावित जोखिम के आधार पर और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अपेक्षाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों के मामले में दस्तावेजों संबंधी अपेक्षाएँ तथा एकत्र की जाने वाली अन्य सूचना;
- (iv) जिन मामलों में बैंक ग्राहकों के संबंध में उचित सावधानी संबंधी उपाय लागू न कर पायें जैसे जिन मामलों में ग्राहक के असहयोग के कारण या बैंक को उपलब्ध कराये गए आंकड़ों / सूचना की अविश्वसनीयता के कारण जोखिम की श्रेणी के अनुसार बैंक ग्राहक की पहचान का सत्यापन कर सकने में असमर्थ हो, उन मामलों में खाता न खोलना या मौजूदा खाते बंद कर देना। तथापि, यह जरूरी है कि इस मामले में पूर्व निश्चित व्यवस्था विद्यमान हो ताकि किसी ग्राहक को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। उदाहरण के लिए किसी ग्राहक को, उसका खाता बंद करने के निर्णय का कारण बताते हुए उसे उचित नोटिस देने के बाद ही, काफी उच्च स्तर पर खाता बंद करने का निर्णय लिया जाना चाहिए।
- (v) जिन परिस्थितियों में किसी ग्राहक को किसी अन्य व्यक्ति / संस्था की ओर से काम करने की अनुमति दी जाए उनके बारे में, स्थापित बैंकिंग विधि और व्यवहार के अनुरूप स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे अवसर आ सकते हैं जब किसी आदेश-धारक (मैनडेट होल्डर) द्वारा कोई खाता परिचालित किया जाए या किसी मध्यस्थ द्वारा न्यासीय क्षमता में /हैसियत से खाता खोला जाए, और
- (vi) कोई नया खाता खोलने से पहले आवश्यक जांच-पड़ताल करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई ग्राहक किसी ऐसे व्यक्ति से मेल न खाता हो जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि

हो या जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो जैसे आतंकवादी व्यक्ति आतंकवादी संगठन इत्यादि)।

बैंक जोखिम की श्रेणी का ध्यान रखते हुए प्रत्येक नये ग्राहक के लिए एक प्रोफाइल तैयार करें। ग्राहक की प्रोफाइल में ग्राहक की पहचान, उसकी सामाजिक /आर्थिक हैसियत, उसके कारोबार का स्वरूप, उसके ग्राहकों के कारोबार तथा स्थान से संबंधित सूचना शामिल की जानी चाहिए। उचित सावधानी का स्वरूप और उसकी सीमा बैंक द्वारा अनुमानित जोखिम पर निर्भर होगी। तथापि, ग्राहकों की प्रोफाइल तैयार करते समय बैंकों को ग्राहकों से केवल वही सूचना मांगनी चाहिए जो जोखिम की श्रेणी के अनुरूप (से संबंध रखती) हो तथा वे ऐसी कोई सूचना न मांगें जो अनावश्यक दखलांदाजी (अंतर्वेधी) हो। ग्राहक -प्रोफाइल एक गोपनीय दस्तावेज होगी तथा उसमें दिये गये विवरण सेवाओं के प्रतिविक्रय या किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रकट नहीं किये जाएंगे।

जोखिम वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए, उन व्यक्तियों (उच्च मालियत वालों को छोड़कर) और कंपनियों को, जिनके संबंध में पहचान तथा संपत्ति के स्रोतों का आसानी से पता लगाया जा सकता है और जिनके खातों के लेनदेन कुल मिलाकर ज्ञात प्रोफाइल के अनुरूप हैं, कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत करें। कम जोखिम वाले ग्राहकों के उदाहरण हैं- वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी जिनके वेतन का ढाँचा सुपरिभाषित है; समाज के निम्न आर्थिक स्तर वाले लोग जिनके खातों में छोटी शेषराशियाँ और कम लेनदेन होता है; सरकारी विभाग एवं सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां, विनियामक और सांविधिक निकाय, आदि। ऐसे मामलों में, केवल पहचान और ग्राहक के पते का सत्यापन करने की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना नीतिगत अनिवार्यता होगी। जो ग्राहक बैंक के लिए औसत से उच्चतर जोखिम पैदा करने की संभावना रखते हैं उन्हें मध्यम अथवा उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाए जो ग्राहक की पृष्ठभूमि, कार्यकलाप का स्वरूप और स्थान, मूल देश, निधियों के स्रोत और उसके ग्राहक के प्रोफाइल आदि पर निर्भर होगा। बैंक जोखिम मूल्यांकन पर आधारित उचित सावधानी बरतने के और अधिक उपाय करें, जिसमें यह अपेक्षित होगा कि विशेषकर जिनके निधियों के स्रोत स्पष्ट नहीं हैं ऐसे उच्चतर जोखिम वाले ग्राहकों के लिए गहन ‘उचित सावधानी’ लागू की जाए। जिनके लिए उच्चतर उचित सावधानी आवश्यक है ऐसे ग्राहकों के उदाहरण हैं; (क) अनिवासी ग्राहक, (ख) उच्च मालियत वाले व्यक्ति, (ग) न्यास, धर्मादाय, गैर-सरकारी संगठन और दानराशियां प्राप्त करने वाले संगठन, (घ) ऐसी कंपनियां जिनमें निकट परिवार में शेयरधारिता अथवा हितार्थी स्वामित्व हैं, (ङ) ‘निक्रिय साझेदार’ वाले फर्म, (च) विदेशी मूल के पोलिटिकली एक्सपोज़ फर्सन (पी ई पी), (छ) अप्रत्यक्ष (नॉन फेस टू फेस) ग्राहक, तथा (ज) उपलब्ध सार्वजनिक सूचना के अनुसार धोखेबाज़ के रूप में बदनाम ग्राहक आदि।

यह बात ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि ग्राहक स्वीकरण नीति को अपनाना एवं उसका कार्यान्वयन अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नहीं होना चाहिए और इसका परिणाम सामान्य जनता, विशेषकर वित्तीय और सामाजिक तौर पर प्रतिकूल परिस्थिति वाले लोगों को बैंकिंग सेवाएं नकारने में नहीं होना चाहिए।

ग्राहक पहचान क्रियाविधि (सी आइ पी)

3. बैंकों के बोर्डों द्वारा अनुमोदित उक्त नीति में विभिन्न स्तरों पर, अर्थात् बैंकिंग संबंध स्थापित करते समय, वित्तीय लेनदेन करते समय अथवा यदि पहले प्राप्त की गई ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी की विश्वसनीयता /सत्यता अथवा पर्याप्तता के बारे में बैंक को कोई संदेह हो तो उस समय, की जाने वाली ग्राहकों को पहचानने की क्रियाविधि की सुस्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। ग्राहक की पहचान से तात्पर्य ग्राहक को अभिनिर्धारित करना और विश्वसनीय, स्वतंत्र स्रोत दस्तावेजों, डेटा या सूचना द्वारा उनका सत्यापन करना। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रत्येक नये ग्राहक, चाहे वह नियमित हो या यदा-कदा आने वाला हो का अभिनिर्धारण अपनी संतुष्टि होने तक करने हेतु आवश्यक पर्याप्त जानकारी और उसके बैंकिंग संबंध के अभिप्रेत स्वरूप के प्रयोजन की जानकारी प्राप्त करें। संतुष्टि होने का अर्थ यह है कि संबंधित बैंक सक्षम प्राधिकारियों को इस बात से संतुष्ट करा सकता है कि मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुपालन में ग्राहक के संबंध में जोखिम के स्वरूप पर आधारित उचित सावधानी बरती गई है। इस प्रकार का जोखिम आधारित दृष्टिकोण बैंकों के अनावश्यक खर्च से बचने तथा ग्राहकों की दृष्टि से बोझिल व्यवस्था को टालने के लिए आवश्यक है। जोखिम निर्धारण के अलावा, आवश्यक सूचना/दस्तावेजों का स्वरूप भी ग्राहक के प्रकार (वैयक्तिक, कंपनी आदि) पर निर्भर होगा। जो ग्राहक ‘नेचुरल’ व्यक्ति हैं, बैंकों को चाहिए कि उनसे उनकी पहचान उनका पता/स्थान सत्यापित करने के लिए पर्याप्त अभिनिर्धारण डेटा तथा उनका हाल ही का फोटोग्राफ भी प्राप्त करें। जो ग्राहक विधिक व्यक्ति अथवा संस्थाएँ हैं, उनके लिए बैंक को चाहिए कि वे (i) उचित एवं संगत दस्तावेजों के माध्यम से उक्त विधिक व्यक्ति /संस्था के विधिक दर्जे का सत्यापन करें, (ii) विधिक व्यक्ति /संस्था की ओर से कार्य करने का दावा करने वाले व्यक्ति के बारे में यह सत्यापित करें कि उसे इसके लिए प्राधिकृत किया गया है, और उस व्यक्ति विशेष की पहचान को सत्यापित किया जाए, (iii) ग्राहक के स्वामित्व और नियंत्रण संरचना को समझें और अंततः विधिक व्यक्ति का नियंत्रण करने वाले ‘नेचुरल’ व्यक्तियों को निर्धारित करें। बैंकों के मार्गदर्शन के लिए कुछ विशिष्ट मामलों के संबंध में ग्राहक पहचान अपेक्षाएँ, विशेषकर ऐसे विधिक व्यक्ति के संबंध में जिनके लिए अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है, अनुबंध II में दी गयी हैं। तथापि, बैंक ऐसे व्यक्तियों /संस्थाओं के साथ व्यवहार संबंधी अपने अनुभव, सामान्य बैंकरों के विवेक तथा स्थापित प्रथाओं के अनुसार विधिक आवश्यकताओं के आधार पर अपने आंतरिक दिशानिर्देश तैयार करें। यदि बैंक ग्राहक स्वीकृति नीति के अनुसरण में ऐसे खातों को स्वीकार करने का निर्णय लेता है तो संबंधित बैंक को चाहिए कि वे हितार्थी स्वामी /स्वामियों को अभिनिर्धारित करने हेतु समुचित कदम उठाएँ और उसकी /उनकी पहचान इस प्रकार करें ताकि इस बात की संतुष्टि हो जाए कि हितार्थी स्वामी कौन हैं। ग्राहक की पहचान करने के लिए जिन दस्तावेजों/सूचनाओं के स्वरूप तथा प्रकार पर निर्भर हुआ जा सकता है उनकी उदाहरण रूपी सूची अनुबंध III में दी गई है।

लेनदेनों की निगरानी

4. “अपने ग्राहक को जानिए” संबंधी कारगर क्रियाविधियों का अनिवार्य तत्व है निरंतर निगरानी। बैंक केवल तभी प्रभावी ढंग से अपनी जोखिम का नियंत्रण कर सकते हैं और उसे कम कर सकते हैं जब उनमें ग्राहक की सामान्य और समुचित गतिविधि की समझ हो ताकि इससे गतिविधि के नियमित पैटर्न से बाहर के

लेनदेनों का पता लगाने के साधन उनके पास उपलब्ध हो जाएं। तथापि, निगरानी किस सीमा तक होगी वह उस खाते के जोखिम की संवेदनशीलता पर निर्भर होगा। बैंकों को चाहिए कि वे सभी जटिल, असामान्य रूप से बड़े लेनदेनों और सभी ऐसी असामान्य बातें, जिनका कोई सुस्पष्ट आर्थिक अथवा दृश्य वैध प्रयोजन न हो, की ओर विशेष ध्यान दें। बैंक खातों की किसी विशिष्ट श्रेणी के लिए प्रारंभिक सीमाएं निर्धारित करें और इन सीमाओं को लांघने वाले लेनदेनों की ओर विशेष ध्यान दें। बड़ी नकद राशि वाले लेनदेन, जो संबंधित ग्राहक की सामान्य और अपेक्षित गतिविधि के अनुरूप नहीं हैं, की ओर बैंक का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित होना चाहिए। रखी गयी शेष राशि के आकार के अनुरूप न होने वाले बहुत बड़े लेनदेन यह दर्शाते हैं कि उस खाते से बड़ी-बड़ी निधियां निकाली जा रही हैं। उच्च जोखिम वाले खातों पर सख्त निगरानी रखी जानी चाहिए। प्रत्येक बैंक को ग्राहक की पृष्ठभूमि, जैसे - मूल देश, निधियों के स्रोत, निहित लेनदेनों के प्रकार और जोखिम के अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे खातों के लिए महत्वपूर्ण संकेतक निश्चित करना चाहिए। बैंकों को खातों के जोखिम वर्गीकरण और उचित सावधानी के और अधिक उपाय लागू करने की आवश्यकता की आवधिक समीक्षा की प्रणाली आरंभ करनी चाहिए। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खातों से हुए लेन-देनों के अभिलेख एवं उनका अनुरक्षण धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 12 की अपेक्षानुसार किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संदिग्ध प्रकार के और/या किसी अन्य प्रकार के लेन-देन जो धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 12 के अंतर्गत अधिसूचित हैं, के ब्योरे कानून व्यवस्था लागू करने वाले उचित प्राधिकारी को रिपोर्ट किए जाएं।

बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनकी शाखाएं रु.10 लाख एवं अधिक के सभी नकद लेन-देनों (जमा एवं आहरण) के उचित अभिलेख रखें। आंतरिक निगरानी प्रणाली में यह बात अंतःस्थापित होनी चाहिए कि ऐसे लेन-देनों एवं संदिग्ध प्रकार के लेन-देनों की सूचना नियंत्रक/प्रधान कार्यालय को पाक्षिक आधार पर दी जाए।

जोखिम प्रबंधन

5. बैंक के निदेशक बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित क्रियाविधियों को स्थापित करके और प्रभावी रूप में उन्हें कार्यान्वित करके 'अपने ग्राहक को जानिए' कार्यक्रम को प्रभावी रूप में लागू किया जाए। इसमें उचित प्रबंधन निरीक्षण, प्रणालियां तथा नियंत्रण, कार्यों का पृथक्करण, प्रशिक्षण तथा अन्य संबंधित मामले शामिल होने चाहिए। बैंक की नीतियों तथा क्रियाविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक के भीतर ही उत्तरदायित्व का स्पष्ट विनियोजन/आबंटन किया जाए। बैंक लेनदेन, खाते अथवा बैंकिंग/व्यापारिक संबंधों में निहित जोखिम को ध्यान में रखते हुए, अपने बोर्ड के साथ परामर्श करके अपने मौजूदा तथा नये ग्राहकों का जोखिम प्रोफाइल तैयार करने की क्रियाविधियां बनाएं तथा धन शोधन निवारण के लिए विभिन्न उपायों को लागू करें।

‘अपने ग्राहक को जानिए’ नीतियों तथा क्रियाविधियों के मूल्यांकन तथा उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने में बैंक की आंतरिक लेखा-परीक्षा तथा अनुपालन संबंधी गतिविधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सामान्य नियमानुसार, अनुपालन कार्य में बैंक की अपनी नीतियों तथा क्रियाविधियों का, जिनमें विधिक तथा विनियामक अपेक्षाएं शामिल हैं, स्वतंत्र मूल्यांकन निहित होना चाहिए। बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी लेखा-परीक्षा व्यवस्था में ऐसे व्यक्ति कार्यरत हैं जो ऐसी नीतियों तथा क्रियाविधियों से भली-भाँति परिचित हैं। समर्वती /आंतरिक लेखा-परीक्षकों को विशेष रूप से शाखाओं में ‘अपने ग्राहक को जानिए’ क्रियाविधियों की जांच करनी चाहिए तथा उन्हें लागू किये जाने को सत्यापित करना चाहिए तथा इस संबंध में पायी गयी कमियों पर टिप्पणी देनी चाहिए। संबंधित अनुपालन रिपोर्ट को बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति के समक्ष तिमाही अंतरालों पर प्रस्तुत किया जाए।

बैंकों में कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अवश्य चलते रहने चाहिए ताकि स्टाफ सदस्य ’अपने ग्राहक को जानने’ की प्रक्रिया के संबंध में पर्याप्त रूप में प्रशिक्षित हो जाएं। पहली पंक्ति (frontline) के स्टाफ, अनुपालन-स्टाफ तथा नए ग्राहकों से व्यवहार करने वाले स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभिन्न स्वरूप के फोकस की अपेक्षा होगी। यह महत्वपूर्ण है कि इस विषय/कार्य से संबंधित सभी व्यक्ति ’अपने ग्राहक को जानने’ संबंधी नीतियों के पीछे की संगति/आवश्यकता को समझें और उन्हें सतत रूप में लागू करें।

ग्राहक शिक्षण

6. ‘अपने ग्राहक को जानिए’ क्रियाविधि के कार्यान्वयन के संदर्भ में बैंकों के लिए ग्राहकों से कुछ ऐसी जानकारी मांगना आवश्यक होता है जो वैयक्तिक स्वरूप की हो अथवा जिसके पहले कभी मांग न की गयी हो। इससे कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि ग्राहक ऐसी जानकारी मांगने के उद्देश्य तथा प्रयोजन के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे। अतः ग्राहक को ‘अपने ग्राहक को जानिए’ कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक संबंधित विशिष्ट साहित्य/प्रचार-पुस्तिका आदि तैयार करें। प्रंट डेस्क स्टाफ को ग्राहकों के साथ बातचीत करते समय ऐसी परिस्थितियों को संभालने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

नयी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग - क्रेडिट कार्ड /डेबिट कार्ड /स्मार्ट कार्ड /गिफ्ट कार्ड

7. बैंकों को नयी अथवा विकासशील प्रौद्योगिकियों जिनमें इंटरनेट बैंकिंग शामिल है, जिसके कारण धन के स्रोत का पता नहीं चलता, इनसे उभरने वाले धन शोधन से संबंधित जोखिमों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो धन शोधन योजनाओं में उनके उपयोग को रोकने के उपाय करने चाहिए।

अनेक बैंक विभिन्न प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने के व्यवसाय में लगे हैं। ग्राहक उनका उपयोग माल खरीदने तथा सेवाएं लेने, ए टी एम से नकद राशि आहरित करने के लिए करते हैं। निधियों के इलैक्ट्रॉनिक अंतरण के लिए भी इनका उपयोग हो सकता है। सामान्यतः इन कार्डों की मार्केटिंग एजेंटों की सेवाओं के माध्यम से की जाती है। बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहकों को कार्ड जारी करने से पूर्व ‘अपने

‘ग्राहक को जानिए’ क्रियाविधियों को उचित रूप में तत्संबंध में लागू किया जाए। यह भी वांछनीय है कि एजेंट पर भी ‘अपने ग्राहक को जानिए’ उपाय लागू किये जाएं।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों इस नीति को क्रेडिट कार्ड जारी करने के मामले में अपनाएं, क्योंकि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, स्टोर वैल्यू कार्ड, चार्ज कार्ड आदि जारी करने की अनुमति नहीं है।

मौजूदा खातों के संबंध में “अपने ग्राहक को जानने” संबंधी मानदण्ड

8. बैंकों को 24 नवंबर 2003, 16 दिसंबर 2003 तथा 21 जून 2004 के क्रमशः परिपत्र सं. बैंपविवि. एएमएल.बीसी.47/14.01.001/2003-04, बैंपविवि.एएमएल.बीसी.129/14.01.001/2003-04 तथा बैंपविवि. एएमएल.बीसी. 101/14.01.001/2003-04 में सूचित किया गया था कि वे 16 अगस्त 2002 के हमारे परिपत्र सं.बैंपविवि. एएमएल.बीसी. 18/14.01.001/2002-03 में यथा सूचित “अपने ग्राहक को जानने” संबंधी मानदण्डों को सभी मौजूदा ग्राहकों के संबंध में समयबद्ध रूप में लागू करें। फैले बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 6 जनवरी 2004 के हमारे परिपत्र सं. गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) कंपरि. सं. 34/2003-04 में सूचित किया गया था कि वे अपने सभी मौजूदा ग्राहकों के संबंध में “अपने ग्राहक को जानने” संबंधी मानदण्डों को समयबद्ध रूप में लागू करें। जबकि पुनरीक्षित दिशानिर्देश सभी नए ग्राहकों पर लागू होंगे, वहीं बैंक उन्हें मौजूदा ग्राहकों पर भी तथ्यों एवं जोखिम के आधार पर लागू करेंगे। तथापि, मौजूदा खातों से हुए लेन-देनों की निगरानी सतत आधार पर की जाए एवं खाते से हुए असामान्य स्वरूप के परिचालन इस बात का संकेत देंगे कि ग्राहक के संबंध में उचित सावधानी उपायों (CDD) की समीक्षा जाए। बैंक ऐसे खातों के स्वरूप के आधार पर उन पर मौद्रिक सीमा लगाने पर विचार कर सकते हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कंपनियों, फर्मों, न्यासों, धर्मादायों, धार्मिक संगठनों एवं अन्य संस्थाओं के मौजूदा खातों पर “अपने ग्राहक को जानने” संबंधी न्यूनतम मादण्ड लागू किए जाएं, जिससे नेचुरल /विधिक व्यक्ति तथा हितधारी स्वामियों की पहचान हो सकेगी। बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि मियादी तथा आवर्ती जमा खातों या उर्ध्वी के स्वरूप के अन्य खातों को नर्वीकरण के समय, नए खाते माना जाए एवं उन्हें “अपने ग्राहक को जानने” संबंधी पुनरीक्षित मानदण्डों की प्रक्रिया से जांचा जाए/गुजारा जाए।

जहां ग्राहक द्वारा जानकारी प्रस्तुत न करने तथा /अथवा ग्राहक के असहयोग के कारण बैंक को ‘अपने ग्राहक को जानने’ के उपाय लागू करना संभव नहीं है, वहां बैंक अपने ग्राहक को ऐसा निर्णय लेने के कारण स्पष्ट करने वाली एक सूचना जारी करने के बाद, खाता बंद करने अथवा उस ग्राहक से बैंकिंग /व्यावसायिक संबंध समाप्त करने पर विचार कर सकता है। ऐसे निर्णय उचित वरिष्ठ स्तर पर लेना आवश्यक है।

भारत से बाहर की शाखाओं तथा सहायक कंपनियों पर उक्त मानदण्डों का लागू होना

9. उक्त दिशानिर्देश भारत से बाहर, विशेषकर एफएटीएफ संस्तुतियों को या तो लागू न करने वाले या अपर्याप्त रूप में लागू करने वाले देशों में स्थित शाखाओं एवं प्रमुख रूप से स्वाधिकृत सहायक कंपनियों पर भी उस सीमा तक लागू होंगे जहाँ तक उस देश के कानून अनुमति देते हैं। जब लागू स्थानीय कानून एवं

विनियमन इन दिशानिर्देशों को लागू करने पर प्रतिबंध/रोक लगाते हों तो ऐसे मामले को रिजर्व बैंक के ध्यान में लाया जाए।

प्रधान अधिकारी

10. बैंक किसी वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी को प्रधान अधिकारी के रूप में पदनामित करें। प्रधान अधिकारी बैंक के मुख्य / कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर होगा तथा उस पर सभी लेन-देनों की निगरानी तथा रिपोर्टिंग तथा कानून के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी के अदान-प्रदान का दायित्व होगा। इस अधिकारी को प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों तथा किसी अन्य संस्था जो कि धन शोधन तथा आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में शामिल है, के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना होगा।

ग्राहक पहचान संबंधी अपेक्षाएं - सांकेतिक दिशानिर्देश

न्यास/नामिती अथवा न्यासी खाते

यह संभावना हो सकती है कि न्यास /नामिती अथवा न्यासी खातों का, ग्राहक पहचान क्रियाविधियों से बचने के लिए उपयोग किया जा सकता है। बैंकों को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि क्या ग्राहक न्यासी /नामिती अथवा किसी अन्य मध्यवर्ती के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य कर रहा है। यदि ऐसा है तो बैंक को उन ग्राहकों से, जिनकी ओर से वे काम कर रहे हैं, उन मध्यवर्तीयों अथवा व्यक्तियों की पहचान का संतोषजनक साक्ष्य प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए तथा न्यास के स्वरूप तथा अन्य निर्धारित व्यवस्थाओं के ब्लौरे भी प्राप्त करना चाहिए। किसी न्यास के लिए खाता खोलते समय, बैंकों को न्यासियों तथा न्यास के अवस्थापकों (जिनमें न्यास में आस्तियां लगाने वाला कोई व्यक्ति शामिल है), अनुदान देनेवालों, संरक्षकों, हिताधिकारियों तथा - हस्ताक्षरकर्ताओं की पहचान को सत्यापित करने की उचित सावधानी बरतनी चाहिए। हिताधिकारियों को जब भी परिभाषित किया गया हो तब उनकी पहचान कर ली जानी चाहिए। फाउंडेशन के मामले में, संस्थापक प्रबंधकों /निदेशकों तथा हिताधिकारियों को जब भी परिभाषित किया गया हो तब उनका सत्यापन करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

कंपनियों तथा फर्मों के खाते

बैंकों में खाते रखने के लिए व्यक्तियों द्वारा बिजनेस कंपनियों का एक 'प्रंट' के रूप में उपयोग करने के मामले में बैंकों को सतर्क रहना आवश्यक है। बैंकों को कंपनी के नियंत्रक ढांचे की जांच करनी होगी, निधियों के स्रोत का पता करना होगा तथा उन नेचुरल व्यक्तियों की पहचान करनी होगी जिनका नियंत्रक हित है और जो प्रबंधतंत्र का एक हिस्सा हैं। इन अपेक्षाओं को जोखिम-बोध के अनुसार कम-अधिक किया जा सकता है -उदाहरण के लिए, सार्वजनिक कंपनी के मामले में सभी शेयरधारकों को पहचानना आवश्यक नहीं होगी।

व्यावसायिक मध्यवर्तीयों द्वारा खोले गये ग्राहक खाते

जब किसी बैंक को यह पता है अथवा ऐसा विश्वास करने का कारण है कि व्यावसायिक मध्यवर्ती द्वारा खोला गया ग्राहक खाता किसी एकल ग्राहक के लिए है तो उस ग्राहक की पहचान कर ली जानी चाहिए। बैंकों के पास म्युच्युअल निधियों, पेन्शन निधियों अथवा अन्य प्रकार की निधियों जैसी संस्थाओं की ओर से व्यावसायिक मध्यवर्तीयों द्वारा प्रबंधित 'समूहित' खाते हो सकते हैं। बैंकों में विविध प्रकार के ग्राहकों के लिए 'ऑन डिपाजिट' अथवा 'इन एक्रो' धारित निधियों के लिए वकीलों/ चार्टर्ड एकाउंटंट्स् अथवा स्टॉक ब्रोकरों द्वारा प्रबंधित 'समूहित' खाते भी होते हैं। जहां मध्यवर्तीयों द्वारा धारित निधियां बैंक में एक साथ मिश्रित नहीं होती हैं और बैंक में 'उप-खाते' भी हैं, जिनमें से प्रत्येक किसी एक हितार्थी स्वामी का खाता हो, वहां सभी हितार्थी स्वामियों की पहचान करनी होगी। जहां ऐसी निधियों को बैंक में एक साथ मिश्रित किया गया है, वहां भी बैंक को हितार्थी स्वामियों की पहचान करनी चाहिए। जहां बैंक, किसी मध्यवर्ती द्वारा की गयी 'ग्राहक संबंधी उचित सतर्कता/सावधानी' पर निर्भर हैं वहां उन्हें अपने को इस बात से संतुष्ट करना

होगा कि मध्यवर्ती नियंत्रित तथा पर्यवेक्षित है और उसने अपने यहां “अपने ग्राहक को जानिए” अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राहक को जानने का अंतिम दायित्व बैंक का है।

भारत के बाहर रहने वाले पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन (पी इ पी) के खाते

पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन वे व्यक्ति हैं जो विदेश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य करते हैं अथवा ऐसे कार्य उन्हें सौंपे गये हैं- उदाहरण के लिए राज्यों अथवा सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ सरकारी /न्यायिक/ सेना अधिकारी, राजकीय स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ कार्यपालक, महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी के पदधारी (कार्यकर्ता) इत्यादि। बैंक संबंध स्थापित करने का उद्देश्य रखने वाले इस श्रेणी के किसी व्यक्ति /ग्राहक के मामले में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करें तथा उस व्यक्ति के संबंध में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समस्त जानकारी की जांच करें। बैंकों को पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन को ग्राहक के रूप में स्वीकार करने से पहले इस व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करना चाहिए और इन निधियों के स्रोत की जानकारी हासिल करनी चाहिए। पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन के लिए खाता खोलने का निर्णय ग्राहक स्वीकरण नीति में स्पष्टतः निर्धारित वरिष्ठ स्तर पर लिया जाए। बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे खातों की निरंतर आधार पर अधिक मॉनीटरिंग करें। इन उपर्युक्त मानदंडों को पोलिटिकली एक्सपोज़्ड पर्सन के परिवार के सदस्यों अथवा नजदीकी रिश्तेदारों के खातों के मामले में भी लागू किया जाना चाहिए।

अप्रत्यक्ष (नान फेस टू फेस) ग्राहकों के खाते

टेलीफोन और इलैक्ट्रॉनिक बैंकिंग के प्रचलन से बैंकों द्वारा ग्राहकों के लिए अधिकाधिक खाते खोले जा रहे हैं जिसके लिए ग्राहकों के बैंक शाखा में आने की आवश्यकता नहीं होती। अप्रत्यक्ष ग्राहकों के मामले में, ग्राहक की सामान्य पहचान क्रियाविधि लागू करने के अलावा निहित उच्चतर जोखिम को कम करने के उद्देश्य से विशिष्ट और पर्याप्त क्रियाविधियों की आवश्यकता है। सभी प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रमाणीकरण पर ज़ोर दिया जाय और यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त दस्तावेजों की माँग की जाए। ऐसे मामलों में, बैंक ग्राहक के दूसरे बैंक खाते के जरिए पहला भुगतान करने की अपेक्षा भी रख सकते हैं जिसमें ‘अपने ग्राहक को जानने’ के समान मानकों का पालन होता है। सीमा पार ग्राहकों के मामले में ग्राहक के दस्तावेजों के साथ मेल मिलाने की अतिरिक्त कठिनाई होती है और ऐसी स्थिति में बैंक को तीसरी पार्टी के प्रमाणीकरण/पहचान पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि तीसरी पार्टी एक विनियमित और पर्यवेक्षित संस्था है और वहां पर ‘अपने ग्राहक को जानने’ की प्रणाली पर्याप्त रूप में कार्यरत है।

संपर्ककर्ता बैंकिंग (कॉरेस्पैंडेंट बैंकिंग)

संपर्ककर्ता बैंकिंग में एक बैंक (संपर्ककर्ता बैंक) से दूसरे बैंक (रिस्पॉन्डेंट बैंक) में बैंकिंग सेवा का प्रावधान रहता है। इन सेवाओं में नकद/निधियों का प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय तार अंतरण, मांग ड्राफ्ट आहरण और डाक अंतरण व्यवस्था, खातों के जरिए देय व्यवस्था, चेक समाशोधन आदि का समावेश रहता है। संपर्ककर्ता बैंक /रिस्पॉन्डेंट बैंक के कामकाज का स्वरूप पूर्णतः समझने के लिए बैंकों को पर्याप्त जानकारी प्राप्त करनी

चाहिए। दूसरे बैंक का प्रबंधन, प्रमुख कारोबारी गतिविधियाँ, एएमएल / सीएफटी अनुपालन का स्तर, खाता खोलने का उद्देश्य, किसी तीसरे व्यक्ति की पहचान जो संपर्ककर्ता बैंकिंग का उपयोग करेगा और संपर्ककर्ता /रिस्पॉन्डेंट के देश में विनियामक /पर्यवेक्षण ढाँचे के संबंध में जानकारी विशेष रूप से संगत हो सकती है। इसी प्रकार, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के जरिए यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या दूसरे बैंक पर धन शोधन या आंतकवादी गतिविधियों के लिए धन देने के संबंध में किसी प्रकार की जांच या विनियामक कार्रवाई की गई है/जा रही है। यह बांछनीय होगा कि ऐसे संबंध केवल बोर्ड के अनुमोदन से ही स्थापित किए जाएं, तथापि यदि किसी बैंक का बोर्ड किसी प्रशासनिक प्राधिकारी को शक्ति प्रत्यायोजित करना चाहे तो वे ऐसे संबंध अनुमोदित करने के लिए स्पष्ट मानदंडों को निर्धारित करते हुए, बैंकों के अध्यक्ष /सीइओ के नेतृत्व वाली समिति को प्रत्यायोजित कर सकता है। समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को अनिवार्यतः बोर्ड के कार्योत्तर अनुमोदन हेतु अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रत्येक बैंक की जिम्मेदारियों को जिनके साथ संपर्ककर्ता बैंकिंग संबंध स्थापित किये गये हैं स्पष्ट रूप में प्रलेखित किया जाने चाहिए। खाते के जरिए देय मामलों में संपर्ककर्ता बैंक को सुनिश्चित करना चाहिए कि रिस्पॉन्डेंट बैंक ने उन ग्राहकों की पहचान का सत्यापन कर लिया है जिनकी खातों में सीधी पहुँच है और उनके संबंध में निरंतर ‘उचित सावधानी’ बरती जा रही है। संपर्ककर्ता बैंक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि रिस्पॉन्डेंट बैंक ग्राहक पहचान संबंधी जानकारी अनुरोध करने पर तुरंत देने में सक्षम है।

किसी “‘शेल बैंक’” (अर्थात् ऐसा बैंक जो किसी देश में निगमित है जहां उसका अपना अस्तित्व नहीं है और वह किसी विनियमित वित्तीय समूह से संबंधित नहीं है) के साथ संपर्ककर्ता संबंध स्थापित करने से बैंक को इन्कार करना चाहिए। शेल बैंकों को भारत में कार्य करने की अनुमति नहीं है। बैंकों को उन रिस्पॉन्डेंट विदेशी वित्तीय संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करते समय सतर्क रहना चाहिए जो उनके खातों का उपयोग करने की अनुमति शेल बैंकों को देते हैं। बैंकों को उन रिस्पॉन्डेंट बैंकों के साथ संबंध बनाए रखने में अत्यंत सतर्कता बरतनी चाहिए जो ऐसे देशों में स्थित हैं जहां ‘अपने ग्राहक को जानने’ के मानक कमजोर हैं और ऐसे देश जिन्हें धन शोधन और आंतकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के विरुद्ध संघर्ष में ‘असहयोगी’ के रूप में जाना गया है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके रिस्पॉन्डेंट बैंकों के पास धन शोधन निवारण नीति और क्रियाविधि है और वे संपर्ककर्ता खातों के जरिए किए गए लेनेदेनों के संबंध में निरंतर और अधिक ‘उचित सावधानी’ क्रियाविधि लागू करते हैं।

XXXXX

अनुबंध III

ग्राहक पहचान क्रियाविधि

सत्यापित किये जानेवाले पहलू और ग्राहकों से प्राप्त किये जाने वाले दस्तावेज

पहलू	दस्तावेज
व्यक्तियों के खाते <ul style="list-style-type: none"> - विधिक नाम और प्रयोग में लाए गए अन्य नाम - सही स्थायी पता 	दस्तावेज <p>(i) पासपोर्ट (ii) पैन कार्ड (iii) मतदाता पहचान पत्र (iv) ड्राइविंग लाइसेंस (v) पहचान पत्र (बैंक के संतुष्ट होने की शर्त पर) (vi) बैंक की संतुष्टि के लिए मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकारी या सरकारी कर्मचारी द्वारा ग्राहक के पहचान तथा निवास को सत्यापित करता हुआ पत्र</p> <p>(i) टेलीफोन बिल (ii) बैंक खाता विवरण (iii) किसी मान्यताप्राप्त सरकारी प्राधिकारी से पत्र (iv) बिजली का बिल (v) राशन कार्ड (vi) नियोक्ता से पत्र (बैंक के संतुष्ट होने की शर्त पर)</p> <p>(ऐसा कोई भी एक दस्तावेज पर्याप्त है जो बैंक को ग्राहक की जानकारी के संबंध में संतुष्ट करता हो)</p>
कंपनियों के खाते <ul style="list-style-type: none"> - कंपनी का नाम - कारोबार का प्रमुख स्थान - कंपनी का डाक पता - टेलीफोन/फैक्स संख्या 	<p>(i) निगमन के संबंध में प्रमाणपत्र और संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम (ii) खाता खोलने के संबंध में निदेशक बोर्ड का प्रस्ताव और जिन्हें खाता चलाने का अधिकार है उनकी पहचान (iii) उनकी ओर से कारोबार चलाने हेतु अपने प्रबंधकों, अधिकारियों या कर्मचारियों को प्रदत्त मुख्तारनामा (iv) पैन आबंटन पत्र की प्रतिलिपि (v) टेलीफोन बिल की प्रतिलिपि</p>

भागीदारी फर्म के खाते <ul style="list-style-type: none"> - विधिक नाम - पता - भागीदारों के नाम और पते - फर्म और भागीदारों के टेलीफोन नंबर 	(i) पंजीकरण प्रमाणपत्र यदि पंजीकृत हो (ii) भागीदारी विलेख (iii) उनकी ओर से कारोबार चलाने हेतु किसी भागीदार या फर्म के कर्मचारी को प्रदत्त मुख्तारनामा (iv) भागीदारों और मुख्तारनामा धारित व्यक्तियों और उनके पते की पहचान कराता कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज (v) फर्म/भागीदारों के नाम-टेलीफोन बिल
न्यासों और संस्थानों(फाउंडेशनों) के खाते <ul style="list-style-type: none"> - न्यासियों, सेटलर्स, हितार्थी और हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम - संस्थापकों, प्रबंधकों/निदेशकों और हितार्थी के नाम और पते - टेलीफोन/फैक्स नंबर 	(i) पंजीकरण प्रमाण यदि पंजीकृत हो (ii) उनकी ओर से कारोबार चलाने हेतु प्रदत्त मुख्तारनामा (iii) न्यासियों, सेटलर्स, हितार्थी और मुख्तारनामा धारित व्यक्तियों, संस्थापकों /प्रबंधकों /निदेशकों और उनके पते की पहचान कराता कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज (iv) फाउंडेशन/ एसोसिएशन के प्रबंधन निकाय का प्रस्ताव (v) टेलीफोन बिल

परिशिष्ट

परिपत्रों की सूची

<u>क्र.</u>	<u>परिपत्र सं.</u>	<u>दिनांक</u>
(i)	गैर्डेपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 46/02.02(RNBC)/2004-05	30 दिसंबर 2004
(ii)	गैर्डेपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 48/10.42/2004-05	21 फरवरी 2004
(iii)	गैर्डेपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 58/10.42/2005-06	11 अक्टूबर 2005
(iv)	गैर्डेपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 64/03.10.042/2005-06	7 मार्च 2006
(v)	गैर्डेपवि.(नीति प्र) कंपरि. सं. 113/03.10.042/2007-08	23 अप्रैल 2008